न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–53/19

1. मुनसफ खां पुत्र श्री हसन खां जाति मुसलमान निवासी चक 14 केवाईडी तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. मोहम्मद युसुफ पुत्र श्री हसन खां जाति मुसलमान निवासी चक 14 केवाईडी तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।
2. शाखा प्रबन्धक, एमजीएम, खाजूवाला।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री जयवीरसिंह विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट

आदेश **दिनांक :– .....**

यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना–पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है। प्रार्थीगण व उनके अन्य हिस्सेदारान माता व भाई के नाम से तहसील खाजूवाला का चक 14 केवाईडी का मु0नं0 136/3 के किला नं0 1, 10 ता 20, 22 ता 25 में कुल तादादी 15.06 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि है जो प्रार्थीगण के पिता के नाम से आवंटित थी। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु होने के उपरान्त उक्त रकबा विरासतन नामान्तरण से प्रार्थीगण व उनकी माता तथा बहन/भाईयो के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। उस वक्त प्रार्थीगण का नाम वारिसनामा में गलत होने के कारण राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया। प्रार्थी सं0 1 का वास्तविक एवं रिकार्डेड नाम मुनसफ है जो राजस्व रिकार्ड व जमाबंदी में मुन्सीबखां दर्ज हो गया तथा प्रार्थी सं0 2 का वास्तविक एवं रिकार्डेड नाम मोहम्मद युसुफ है जबकि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड व जमाबंदी में जुसीबखां दर्ज हो गया। प्रार्थीगण का रिकार्डेड एवं वास्तविक नाम मुनसफ व मोहम्मद युसुफ ही है और इसी नाम से अन्य समस्त दस्तावेज (राजस्व रिकार्ड को छोड़कर) है। प्रार्थी सं0 1 एवं 2 ने राजस्व रिकार्ड में क्रमशः मुन्सीबखां के स्थान पर मुनसफ और जुसीबखां के स्थान पर मोहम्मद युसुफ दुरस्त करने की इस्तदुवा चाही है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थीगण ने स्वयं के और भाई व माता के शपथ पत्र व ग्राम पंचायत 17 केवाईडी से प्रमाण पत्र पेश किये। साक्ष्य प्रार्थीगण लिये जाकर एवं तहसीलदार खाजूवाला से जवाब/रिपोर्ट ली गई । शाखा प्रबन्धक, एमजीबी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थीगण ने स्वयं के और भाई व माता के शपथ पत्र व ग्राम पंचायत 17 केवाईडी से प्रमाण पत्र पेश किये। जिसमें भाई व माता ने उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार दुरस्ती की जाती है तो कोई एतराज नहीं जताया । अतः राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीगण के क्रमशः दर्ज नाम मुनसफ व मोहम्मद युसुफ की जगह मुन्सीबखां व जुसीबखां सहवन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय कर दिया जो केवल लिपिकीय त्रुटि है जिसे दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है । साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज परिचयपत्र, राशनकार्ड, आधारकार्ड,पैनकार्ड में भी प्रार्थीगण का नाम क्रमशः मुनसफ व मोहम्मद युसुफ दर्ज है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी सं0 1 का नाम मुन्सीबखां की जगह मुनसफ और प्रार्थी सं0 2 का नाम जुसीबखां की जगह मोहम्मद युसुफ नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2020.05.18 11:33:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: